(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2025-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 फ़रवरी, 2025

सा.का.नि.... (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवर्शक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2011- सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011, जिसे सा.का.नि. 153 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2011, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्द्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम सं. 25ग के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"ई. आई. टैन चर्म से भिन्न, गोजातीय (भैंस सहित) या अश्व पशुओं की टैन खाल और चर्म";

(ii) क्रम सं. 25घ के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"ई. आई. टैन चर्म से भिन्न, भेड़ या मेमनों की टैन चर्म";

(iii) क्रम सं. 25ङ के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि

प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“ई. आई. टैन चर्म से भिन्न, अन्य जानवरों की टैन खाल और चर्म”;

(iv) क्रम सं. 25झ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और तत्संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“25ञ.	4104 41 00, 4104 49 00, 4105 30 00, 4106 22 00, 4106 32 00 या 4106 92 00	क्रस्ट चर्म (खाल और चर्म)	शून्य”;

2. यह अधिसूचना 2 फ़रवरी, 2025 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2025-टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011 को सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 37/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. 440 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।